समाचार-प्रकाषनार्थ:-

सफाई के साथ नागरिकों की आदत बदले-श्री झारिया

सफाई कार्य की समीक्षा बैठक में दिये निर्देष

रतलाम 24 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में रतलाम नगर को नम्बर 1 बनाने हेतु स्वच्छता कार्य में नियुक्त किये गये अधिकारी एवं कर्मचारियों की बैठक निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निर्देषित किया कि सफाई के साथ नागरिकों की आदत को बदलें।

आयोजित बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने बैठक में कहा कि षहर में सफाई करना नगर निगम का कार्य है किन्तु षहर को साफ-स्वच्छ रखना नागरिकों का भी कर्तव्य है इसलिये इधर-उधर व खुले में कचरा डालने वाले नागरिकों की आदत को भी बदले।

बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया कि सफाई कर्मचारियों का रविवार का अवकाष रहेगा अन्य किसी भी दिवस में रेस्ट नहीं रहेगा। इसके अलावा नगर के 101 ऐसे उद्यान जहां औशधिय पौधो का रोपण किया गया है वहां पर सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था करवाये।

षहर की सड़कांे व अन्य स्थानों पर यदि सालिड या वेट वेस्ट है तो उसे हटाने व उठाने हेतु टेªक्टर ट्रॉली लगाई जाये। उन्होने निर्देषित किया कि सड़क पर यदि भवन निर्माण सामग्री पाई जाती है तो सामग्री जब्त कर संबंधित पर जुर्माना किया जाये।

ट्रीटेड वॉटर का रियूज व भू-जल स्तर को बचाने हेतु नगर के सिविल वर्क करने वाले ठेकेदार निर्माण कार्य में नगर निगम से ट्रीटेड वॉटर 50 रूपये प्रति किलो लीटर के मान से क्रय करें इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करें साथ ही ऐसे ट्यूबवेल मालिक जो कि ट्यूबवेल का पानी सिविल वर्क हेतु विक्रय करते उन पर दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने के निर्देष बैठक मंे दिये।

आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, कार्यपालन यंत्री श्री मोहम्मद हनीफ षेख, प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री सत्यप्रकाष आचार्य, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, प्रभारी सहायक यंत्री श्री एम.के. जैन, उपयंत्री सर्वश्री सुहास पंडित, बी.एल. चौधरी, राजेष पाटीदार, ब्रजेष कुषवाह, मनीश तिवारी, सुश्री दीक्षा निजामपुरकर, निज सहायक श्री सुभाश गोयल, झोन प्रभारी व पर्यवेक्षक उपस्थित थे।

नेषनल लोक अदालत का 12 मार्च षनिवार को आयोजन

संपत्तिकर एवं जलकर की बकाया राषि जमा करने पर अधिभार (सरचार्ज) की राषि में छूट

बकायादार 2 स्थानों पर जमा करा सकेंगे बकाया राषि

रतलाम 24 फरवरी । राश्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य षासन के निर्देषानुसार संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों को अधिभार (सरचार्ज) में छूट देने हेतु 12 मार्च 2022 षनिवार को नेषनल लोक अदालत के तहत बकाया राषि जमा कराने हेतु नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेषन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में षिविर का आयोजन कार्यालयीन समय में किया गया है।

आयोजित नेषनल लोक अदालत में सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिषत की छूट दी जायेगी तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिषत की छूट।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) से अधिक तथा रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 10,000/- से अधिक तथा रूपये 50,000/- तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिषत की छूट।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिषत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 50,000/- से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिषत की छूट।

उक्त छूट मात्र एक बार (व्दम ज्पउम ैमजजसमउमदज) ही दी जायेगी। यह छूट वर्श 2020-21 तक की बकाया राषि पर ही देय होगी। यह छूट मात्र दिनांक 12/03/2022 की नेषनल लोक अदालत के लिये मान्य होगी।

नगर निगम द्वारा संपत्तिकर एवं जलकर के बकायादारों से अपील की जाती है कि 12 मार्च 2022 षनिवार को आयोजित एक दिवसीय लोक अदालत के तहत नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेषन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में आयोजित षिविर में उपस्थित होकर बकाया राषि जमा कराकर दी जा रही अधिभार (सरचार्ज) में छूट का लाभ उठावें।

खुले में यूरिन करने पर 5 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम 24 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम में खुले में यूरिन (पेषाब) व षौच करते है उन पर लगाम लगाने हेतु दण्डात्मक कार्यवाही की जा रही जिसके तहत न्यू अलकापुरी में विजय व्यास द्वारा खुले में यूरिन करने व नाली पर अतिक्रमण कर टेन्ट सामग्री रखने पर 500, कैलाष, रामकुमार षर्मा, सलीम पर 100-100 व राधेष्याम पर 50 रूपये का जुर्माना निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार स्पॉट फाईन टीम द्वारा किया गया।

घोसी समाज मदरसा पर 5000 का जुर्माना

रतलाम 24 फरवरी । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर षहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर अतिक्रमण करते है उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 24 फरवरी को घोसी समाज मदरसा सुभाश नगर द्वारा गंदगी करने पर 5000 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविश्य में गंदगी ना करने की समझाईष दी।

नगर निगम के विभिन्न करों से 19.59 लाख हुआ राजस्व प्राप्त

रतलाम 24 फरवरी । संपत्तिकर, जलकर, लायसेंस, राजस्व, विकास षाखा, बिल्डिंग परमिषन के तहत नागरिकों द्वारा जमा कराये गये करो के तहत 24 फरवरी गुरूवार को कुल राषि रूपये 19,59,615/- का राजस्व प्राप्त हुआ।

नगर निगम के विभिन्न करों के तहत 24 फरवरी गुरूवार को संपत्तिकर षिविर से 204427, कार्यालय 194517, वसूली दल 538434 कुल 937378, जलकर षिविर 29590, कार्यालय 32100, वसूली दल 198835 कुल 260525, स्पॉट फाईन 9800, लायसेंस 14510, दुकान गुमटी किराया कार्यालय 1730 वसूली दल 88339 कुल 90069, लीजरेंट 267021 व कम्पाउडिंग फीस 380312 इस तरह कुल राषि रूपये 19,59,615/- का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ।

षिवनगर के 70 नागरिकों ने अवैध से वैध नल संयोजन हेतु जमा कराई राषि

रतलाम 24 फरवरी । नगर निगम द्वारा अवैध से वैध नल संयोजन हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत वार्ड क्रमांक 1 षिवनगर झुग्गी झोपड़ी के 31 रहवासियों 23 फरवरी को राषि रूपये 93000 व 39 रहवासियों द्वारा 24 फरवरी को राषि रूपये 117000 कुल राषि रूपये 210000 की राषि अपने अवैध नल संयोजन को वैध कराने हेतु राषि जमा कराई।

नगर निगम द्वारा षिवनगर क्षेत्र के अवैध नल संयोजनकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि 10 मार्च के पूर्व अपने अवैध नल संयोजन को अनिवार्य रूप से वैध करा लेवें समयावधि पश्चात नल संयोजन विच्छेद कर दिया जावेगा।

24 फरवरी को 83 टन कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 24 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टेªचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 24 फरवरी गुरूवार को 83 टन कचरा जुलवानिया टेªचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

24 फरवरी गुरूवार को डम्पर से 28910, टेªक्टर से 16915, काम्पेक्टर सूखा कचरा 15195, काम्पेक्टर गीला कचरा 21895, मैजिक सूखा कचरा 940, मैजिक गीला कचरा 730 किलो इस तरह कुल 84585 किलो कचरा जुलवानिया टेªचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

19 सफाई मित्रों का 1 दिवस एक दिवस का वेतन काटा

दोपहर में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों का कटेगा पुरे दिन का वेतन

बिना सूचना के 3 दिवस लगातार अनुपस्थित रहने कर्मचारी होगें सेवा से बर्खास्त

रतलाम 24 फरवरी । कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार वार्डो में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवक्षकों द्वारा वार्डो में प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके तहत प्रातः 11 व दोपहर में 8 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने

पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ऐसे सफाई मित्र जो कि प्रातः की षिफ्ट में उपस्थित रहते हैं व दोपहर की षिफ्ट में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर संबंधित का पुरे दिवस का वेतन काटा जायेगा।

24 फरवरी गुरूवार को वार्डो मंे सफाई मित्रों की उपस्थिति के दौरान प्रातः  झोन क्रमांक 1 में विमलाबाई पति रघुवीर, इच्छाबाई पति राकेष, बरखा पति सुरेष, उमेष-प्रहलाद, रामकुमार-बच्चेराम, झोन क्रमांक 2 में ललीताबाई पति ष्यामलाल, षकुन्तला पति अर्जून, कमल-सुल्तान, झोन क्रमांक 4 में जितेन्द्र-मनोहर, चन्दुलाल-हन्सुलाल, जितेन्द्र-भारत। दोपहर की उपस्थिति के दौरान झोन क्रमांक 1 में सतीष-गोवर्धन, बबीता-सतीष, बादल-दिलीप, राकेष-रतन, झोन क्रमांक 2 में षोभाबाई पति रामसिंह, विजय-राजाराम, अनिल-मांगीलाल व मीनाबाई पति दिनेष इस तरह 19 कर्मचारी बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

ऐसे सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते है उन्हे सेवा से बर्खास्त/निलबंन की कार्यवाही की जायेगी।

अमानक स्तर की पॉलीथीन उपयोग करने पर 4 व्यक्तियों पर जुर्माना

100 मॉईक्रान से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित

रतलाम 24 फरवरी । रतलाम नगर को स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में 100 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक (प्लास्टिक स्टीक सहित ईयर बर्ड, बैलून में उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक झण्डे, कैंडी स्टिक, आईस्क्रीम स्टीक, सजावट में उपयोग होने वाले थर्मोकोल, प्लास्टिक प्लेट्स, कप, ग्लास, फोर्क, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, टे[a], स्वीट बाक्स, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट को कव्हर करने वाली पैकिंग फिल्म, प्लास्टिक स्टिर्रस व 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीबीसी के बैनर) के उपयोग को मध्यप्रदेष प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड व कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

अभियान के तहत 24 फरवरी को बालाजी रेस्टोरेंट, मौर्य नमकीन पावर हाउस रोड, राजेन्द्र चाट सेंटर व राधाबाई सोलंकी अमानक स्तर की पॉलीथीन उपयोग करने पर 500-500 रूपये का स्पॉट फाईन किया गया।

रतलाम नगर के  समस्त  प्लास्टीक (पॉलीथीन) निर्माता, भण्डारकर्ता, विक्रेता, दुकानदार एवं उपयोगकर्ता 100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का ना तो उत्पादन करें एव ंना ही भण्डारण, विक्रय तथा उपयोग करें। उपरोक्त का उल्लघंन किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

नगर के नागरिकों से अनुरोध है कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें एवं इनके स्थान पर कपड़े एवं कागज से निर्मित थैलियों का उपयोग कर नगर को स्वच्छ, सुन्दर बनाने तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग प्रदान करें।

ष्वान पालकों को अपने ष्वान का रजिस्ट्रेषन अनिवार्य रूप से करायें

रजिस्ट्रेषन नहीं कराने पर संबंधित के विरूद्ध होगी दण्डात्मक कार्यवाही

रतलाम 24 जनवरी । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में ष्वान पालते हैं वे अपने ष्वान का रजिस्टे्षन नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की लायसेंस षाख में अनिवार्य रूप से करायें अन्यथा संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत ष्वान पालकों द्वारा अपने ष्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा ष्वान की भांति छोड़ दिया जा ा ह तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे ष्वानों एवं ष्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है। ऐसे ष्वान पालक जिन्होने अपने ष्वान का रजिस्टेषन नहीं कराया है उन्हे नगर निगम द्वारा सूचना-पत्र जारी किये जा रहे है रजिस्टे्षन नहीं कराने वाले ष्वान पालकों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

ष्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस षाखा में प्रति ष्वान पंजीयन षुल्क रूपये 1000/- एवं लायसेंस षुल्क रूपये 500/- प्रति ष्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हे ेतु प्रतिवर्श 100/- रूपये जमा कराना होगा। ष्वान पालकों को अधिकतम् 2 ष्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

नगर निगम द्वारा ष्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने ष्वान का रजिस्ट्रेषन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस षाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने ष्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

दो बत्ती पर आज लगेगा निगम का बकाया वसूली षिविर

नगर निगम द्वारा वार्ड वार बकाया वसूली षिविरो का आयोजन

नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए संपत्तिकर 89.04 लाख व जलकर 22.25 लाख की बकाया राषि जमा कराई

रतलाम 24 फरवरी । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली षिविर आयोजित किये गये है जो 03 मार्च 2022 तक चलेंगे।

आयोजित षिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरण, जलकर, दुकान, गुमटी किराया, लायसेंस षुल्क एवं विकास षाखा से संबंधित भवन की किष्त तथा भू-भाटक की बकाया राषि जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित षिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर षिविर में संपत्तिकर 3,28,822/- व जलकर 54,850/-, मालवा नगर लक्ष्मणपुरा षिविर में संपत्तिकर 1,62,575/- व जलकर 34,520/-, जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास षिविर में संपत्तिकर 3,02,013/- व जलकर 63,450/-, विनोबा नगर षिविर में संपत्तिकर 1,85,292/- व जलकर 1,19,720/-, अलकापुरी कम्युनिटी हॉल षिविर में संपत्तिकर 3,20,857/- व जलकर 62,950/-, तिरूपति नगर षिविर में संपत्तिकर 1,28,977/- व जलकर 28,870/-, कोमल नगर षिविर में संपत्तिकर 2,16,000/- व जलकर 14,000/-, इन्द्रलोक नगर मार्निंग स्टार स्कूल के पास षिविर में संपत्तिकर 2,51,600/- व जलकर 1,04,640/-, कस्तुरबा नगर षिविर में संपत्तिकर 8,61,206/- व जलकर  1,21,090/-, प्रियदर्षनी नगर षिविर में संपत्तिकर 2,14,000/- व जलकर 47,000/-, डोंगरे नगर षिविर में संपत्तिकर 2,54,422/- व जलकर 83,700/-, हाट रोड षिविर में संपत्तिकर 1,71,500/- व जलकर 27,540/-, कलीमी कालोनी षिविर में संपत्तिकर 1,96,281/- व जलकर 40,240/-, राजेन्द्र नगर षिविर में संपत्तिकर 1,45,000/- व जलकर 31,760/-, काटजू नगर षिविर में संपत्तिकर 3,36,077/- व जलकर 72,440/-, वेदव्यास कालोनी षिविर में संपत्तिकर 98,534/- व जलकर 37,465/-, कल्याण नगर षिविर में संपत्तिकर 87,732/- व जलकर 36,660/-, दीनदयाल नगर षिविर में संपत्तिकर 2,91,455/- व जलकर 92,125/-, बोहरा बाखल षिविर में संपत्तिकर 4,97,298/- व जलकर 64,770/-, रामगढ़ षिविर में संपत्तिकर 1,59,241/- व जलकर 28,140/-, लक्कड़पीठा षिविर में संपत्तिकर 6,11,920/- व जलकर 1,56,600/-, धानमण्डी षिविर में संपत्तिकर 3,60,338/- व जलकर 1,67,280/-, किरण टॉकिज षिविर में संपत्तिकर 3,89,541/- व जलकर 76,625/-, आनन्द कालोनी षिविर में संपत्तिकर 1,20,807/- व जलकर 37,520/-, प्रताप नगर षिविर में संपत्तिकर 1,91,836/- व जलकर 72,860/-, महावीर नगर षिविर में संपत्तिकर 87,741/- व जलकर 37,140/- पैलेस रोड षिविर में संपत्तिकर 2,81,036/- व जलकर 89,570/-, चौगानिया भैरू मंदिर के पास षिविर में संपत्तिकर 91,157/- व जलकर 46,510/-, सायर चबुतरा षिविर में संपत्तिकर 1,62,036/- व जलकर 1,05,060/-, चौमुखी पुल षिविर में संपत्तिकर 5,20,421/- व जलकर 1,62,610/-, बजाजखाना षिविर में संपत्तिकर 3,19,606/- व जलकर 98,030/-, षास्त्रीनगर षिविर में संपत्तिकर 4,48,489/- व जलकर 1,10,940/- की राषि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली षिविरो के वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 25, 26 व 28 फरवरी को दो बत्ती चौराहा, वार्ड क्रमांक 30, 31, 32 व 34 के लिये 1 से 3 मार्च तक स्टेषन रोड दिलबहार चौराहे पर कार्यालयीन समय में षिविर आयोजित किये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि  निगम द्वारा उक्त षिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित षिविरों में बकायादार अपनी बकाया राषि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

बिना अनुमति व अनुमति के विपरित 10 के स्थान पर 30 प्रतिषत अवैध निर्माण का होगा प्रषमन (कम्पाउडिंग)

28 फरवरी तक प्रषमन षुल्क में दी जा रही 20 प्रतिषत छूट

रतलाम 24 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन (कम्पाउडिंग) के तहत 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रषमन (कम्पाउडिंग) किया जा सकेगा। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग षुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेष षासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन (कम्पाउडिंग) हेतु नियमों में संषोधन कर अब 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत की सीमा तक हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग षुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।

रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है। नगर निगम द्वारा इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिये गये है।

कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति या अनुमति के विपरित बने अपने भवनों का प्रषमन (कम्पाउडिंग) 28 फरवरी के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरूद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।

3141 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए

स्वरोजगार ऋण से 112 हितग्राही हुए लाभान्वित

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 24 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यषील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विषेश अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु 2636 हितग्राहियों को राषि रूपये 10,000/- तथा द्वितीय कार्यषील पूंजी हेतु 205़ हितग्राहियों को राषि रूपये 20,000/- ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 107 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 5 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवष्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही

15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राषि होगी वसूल

रतलाम 24 फरवरी । षहर की मुख्य सड़के सैलाना रोड, सागोद रोड, महू रोड, स्टेषन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देषित किया है षहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 24 फरवरी । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारो, व्यावसायिक प्रतिश्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर  कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 24 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देषित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिष्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देषित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया कि दोनो पालियों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के

वर्कषॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देषित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 24 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डो की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/24.02.2022/न.पा.निगम, रतलाम.